प्रदीप सिंह बनाम ईश्वरी देवी अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए प्रकरण सं0 02/2016

हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम
.२.२०१८	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 कैम्प कोर्ट 2एफएफए में पेश हुई। मौका पर तहसीलदार श्रीकरणपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 57एफ के खाता सं0 7 के मु0 नं0 10 के किला नं0 4,7,14,17,18,23,24 की कुल 1.770 है0 नहरी भूमि ईश्वरी देवी पत्नि गोविद राम के नाम दर्ज है। इसी चक के खाता सं0 42 के मु0 नं0 6 की 1.985 है0 , मु0 नं0 9 की 3.035 है0, व मु0 नं0 10 के किला नं0 5,6,15,16,25 की 1.265 है0 कुल 6.285 है0 नहरी भूमि प्रदीप सिंह पुत्र ईकबाल सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिकार्ड जमाबंदी चक 57एफ के खाता सं0 45 में मु0 नं0 10 के किला नं0 1/1 में 0.012 है0 , किला नं0 2/1 में 0.013 है0, किला नं0 3/1 में 0.013 है0 कुल 0.038 है0 गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत है जो कि मौका पर चल रहा है। इस उपरोक्त रास्ता का वाद माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है। मुताबिक जमाबंदी के माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर में एस.बी.सी सिविल रिट पीटीशन नं0 6863/2015 के आदेश की पालना में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर अपील एल.आर.एक्ट 3587 सन् 2015 के आदेश दिनांक 29.06.2015 की आगामी तिथि तक स्थगित किया जाता है, दर्ज है। मौके के मुताबिक चक 57एफ का मु0 नं0 10 के किला नं0 4 में प्रस्तावित रास्ता मौका पर नही चल रहा है। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मु0 नं0 10 के किला नं0 1,2,3 में रास्ता स्वीकृत है और प्रार्थी अपने मु0 नं0 10 के किला नं0 4,7,14,17,18,23,24 में आने जाने के लिए किला नं0 4 से रास्ता चाह रहा है। तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस किला नं0 1 ,2 ,3 में स्वीकृत रास्ता के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रकरण विचाराधीन है। अतः इस किला नं0 4 में रास्ता स्वीकृत माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के उपरांत ही संभव है। अतः माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में विचाराधीन प्रकरण में जो भी निर्देश/ आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिये जायेगें उसी अनुसार इस प्रकरण में कार्यवाही कर पालना की जायेगी। अतः माननीय न्यायालय के निर्णय तक प्रकरण इसी स्टेज पर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) श्री करणपुर	

Scanned by CamScanner